प्रपत्र संख्या– कृषि निदेशक उत्तराखण्ड.
मूल्य रू0– 500.00
जी0एस0टी0–60.00
योग– 560.00

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
नंदा की चौकी प्रेमनगर
देहरादून।

किराये के वाहनों हेतु निविदा शर्ते

1. केन्द्रपोषित योजनाओ के सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोगार्थ एक वर्ष के लिए इण्डिगों टॉप मॉडल 2016/2017, इनोवा टॉप मॉडल 2016/2017, स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल 2016/2017, बोलेरो टॉप मॉडल 2016/2017, टाटा हैक्सा टॉप मॉडल 2016/2017 अथवा स्कार्पियो टॉप मॉडल 2016/2017 किराये पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। वित्तीय निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन को किराये पर लिया जा सकता है। निविदा दर स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि शासन स्तर से एक वर्ष से पूर्व वाहनों को किराये पर न रखने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है तो तद्नुसार वाहनों को किराये पर नही रखा जायेगा।

2. वाहन टॉप मॉडल 2016 के द्वारा चली गयी दूरी 25000 कि0मीटर से अधिक नही होनी चाहिए।

3. निविदा प्रपत्र/फार्म प्रत्येक कार्य दिवस (प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक) में कार्यालय कैशियर से धनराशि रू0 560.00 (रू0 पॉच सौ साठ) मात्र के भुगतान पर दिनांक 22.08.2017 तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र कृषि निदेशालय की वेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र तकनीकी निविदा भाग–1 के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक से कय किया गया धनराशि रू0 560/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि कृषि निदेशक उत्तराखण्ड के नाम देय हो, संलग्न किया जाय। निविदा प्रपत्र नकद कय किये जाने पर विभागीय रसीद (डी0–2) की छाया प्रति संलग्न की जानी होगी।

4. पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 23.08.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा पेटी में डाले जायेंगे, जो उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे। निविदा प्रपत्र/फार्म डाक अथवा कोरियर से न तो उपलब्ध कराये जायेंगे और न ही स्वीकार किये जायेंगे।

5. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 15,000/– की धरोहर धनराशि जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून के पदनाम से हो, का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा जिस फर्म की दर स्वीकृत होगी उसे रू0 15,000/– मात्र की जमानत धनराशि जो कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पदनाम से बंधक होगी, देनी अनिवार्य होगी, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6. वाहन टैक्सी में पंजीकृत होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रपत्र संलग्न किया जाये।

7. आपूर्ति की जाने वाला वाहन उचित गुणवत्ता वाला होना चाहिए। वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट, बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी का होना चाहिए।

8. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए।

9. उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना चाहिए। दिल्ली/नई दिल्ली में प्रचलित वर्तमान नियमों के तहत वाहन आवागमन हेतु उपयुक्त होना चाहिए, किसी भी निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

10. विभाग, मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

11. वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का यह उत्तरदायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन से सम्बन्धित अन्य व्यय किये जा सके।

12. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर विभाग आपूर्तिकर्ता फर्म के व्यय पर स्वयं वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

13. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली अथवा अन्य स्थान में आयोजित बैठकों में भी किया जाता रहेगा। राज्य से बाहर प्रयोग हेतु मना करने पर तत्काल प्रभाव से निविदा निरस्त करते हुए फर्म के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करते हुए (BLACK LIST) घोषित कर दिया जायेगा ।

14. ईंधन की आपूर्ति, लॉगबुक के आधार पर विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूतिकर्ता फर्म को वाहन में नियमित रूप से एक लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्ठि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा। माह के अंत में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान लॉगबुक के आधार पर किया जायेगा।

15. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

16. यह वाहन अन्यत्र उपयोग में नही लाया जायेगा व तकनीकी रूप में खराब होने पर ही बदला जा सकता है।

17. वाहन में मैकेनिक कार्य एवं सर्विसिंग हेतु माह में एक दिन का अवकाश देय होगा।

18. निविदादाता फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर प्रतिवर्ष रू0 10.00 लाख से कम नही होना चाहिए। तकनीकी निविदा भाग–1 के साथ तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में वित्तीय निविदा भाग–2 नही खोली जायेगी, तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

19. वाहन चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा जिसका वेतन आदि का भुगतान वाहन स्वामी/ट्रैवल्स एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

20. वाहन चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित अवधि तक के लिये वैद्य लाइसेन्स का होना अनिवार्य है वाहन चालक को मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। लाईसेन्स की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

21. वाहन चालक पर किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही/आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिये। चालक जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूतिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

22. यदि विभाग को अवकाश के दिन वाहन की आवश्यकता होती है तो सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार वाहन कार्य पर लाना अनिवार्य होगा।

23. वाहन कृषि निदेशालय के नियंत्रण में रहेगा।

24.मासिक किराया एवं ईंधन व्यय प्रति लीटर किलोमीटर निविदा प्रपत्र में अंकित किया जायेगा, ईंधन का भुगतान वास्तविक चली गयी दूरी के अनुसार आगणित कर निकाला जायेगा। माह में भरे गये ईंधन की दर उपलब्ध करानी होगी जिसकी पुष्टि के लिये तेल वाउचर बिल के साथ संलग्न करने होंगे।

25. वाहन को देहरादून मुख्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति में अथवा रात्रि में रोके जाने पर चालक को रात्रि निवास का भुगतान रू0 200.00 प्रति रात्रि देय होगा। जिसका भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।

26. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा स्वयं किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।

27. यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा उसकी सेवायें सन्तोषजनक नहीं पायी जाती हैं तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

28. सफल निविदादाता की दर स्वीकृत होने की दशा में विभाग को जिस वाहन की आवश्यकता होगी उसी वाहन को किराये पर लिया जायेगा ।

29. निविदा में सफल निविदादाता को निविदा में स्वीकृत दर पर विभाग द्वारा मागें जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अभिलेख एंव रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के **Non Judicial Stamp Paper** पर अनुबन्ध पत्र उपलब्ध करना होगा। तद्उपरान्त विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(1) वाहन का प्रकार (2) रजिस्ट्रेशन नं0 एवं पंजीकरण का वर्ष (3) टैक्सी में पंजीकरण का विवरण (4)वाहन चालक का वैद्य लाईसेंस पर्वतीय एंव मैदानी क्षेत्रो के लिए (6) वाहन का परमिट, फिटनेस, (7) प्रदूषण एवं बीमा प्रमाण पत्र आदि

30. बिल भुगतान के समय बिल की धनराशि में से नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।

31. अपूर्ण एवं सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

32. वाहन किराये का भुगतान बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा।

33. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

34. किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

कृषि निदेशक
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

वित्तीय निविदा भाग–2

(1)

1– प्रतिमाह किराये हेतु दर

क्र. सं.	वाहन का मॉडल एवं प्रकार	मासिक किराया (रू0 में)	ईंधन खपत प्रति ली0/कि0मी0	अभ्युक्ति
1.	इनोवा वाहन टॉप मॉडल 2016/2017			
2.	स्कार्पियो टॉप मॉडल 2016/2017			
3.	टाटा हैक्सा 2016/2017			
4.	स्विप्ट डिजायर टॉप मॉडल 2016/2017			
5.	बोलेरो टॉप मॉडल 2016/2017			
6.	टाटा जेष्ट टॉप मॉडल 2016/2017			
7.	इण्डिगो टॉप मॉडल 2016/2017			

(सर्विस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में देय टैक्स आदि पृथक से देय होगा)

फर्म स्वामी/अधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता

(2)

2– दैनिक किराये हेतु वाहन की दर–

क. सं.	वाहन का प्रकार	किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (पर्वतीय मार्ग) रू0 में	किराया प्रतिदिन प्रति कि0मी0 (मैदानी मार्ग) रू0 में	वेटिंग चार्जेज	न्यूनतम किराया कि0मी0 चार्जेज प्रतिदिन
		ए.सी.	ए.सी.		
1.	इनोवा वाहन टॉप मॉडल 2016/2017				
2.	स्कार्पियो टॉप मॉडल 2016/2017				
3.	टाटा हैक्सा 2016/2017				
4.	स्विप्ट डिजायर टॉप मॉडल 2016/2017				
5.	बोलेरो टॉप मॉडल 2016/2017				
6.	टाटा जेष्ट टॉप मॉडल 2016/2017				
7.	इण्डिगो टॉप मॉडल 2016/2017				

(सर्विस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में देय टैक्स आदि पृथक से देय होगा)

फर्म स्वामी/अधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

निविदा प्रपत्र (तकनीकी भाग–1)

1. निविदादाता का नाम..

2. पता..

3. पत्र व्यवहार का पता..

....

4. पेन नम्बर/जी0एस0टी0 नम्बर ....

....

5. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर..

6. निविदा फार्म शुल्क की रसीद संख्या

अथवा बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक..

7. धरोहर धनराशि रू0.. ड्राफ्ट नं0..दिनांक....................

8. टेलीफोन नं0..

9. **फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या फर्म के विरूद्ध कोई विवाद/विधिक/ आपराधिक कार्यवाही चल रही है/ लम्बित है। "हां" और "नहीं" में उल्लेख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायें।**

फर्म स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता

प्रेषक,

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांकः– /भण्डार–वाहन निविदा/2017–18 देहरादूनः दिनांक

विषय– **वाहन निविदा की विज्ञप्ति प्रकाशन विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय हेतु वाहन आपूर्ति करने के लिए निविदा विज्ञप्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । कृपया निविदा विज्ञप्ति को न्यूनतम पठनीय साईज 70 वर्ग सेमी0 साईज में (Black & White) दो प्रचलित समाचार पत्रों दैनिक जागरण,देहरादून एवं दैनिक हिन्दुस्तान,देहरादून संस्करण में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। तथा बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु 2 प्रतियों में कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तानुसार विज्ञप्ति।

भवदीय

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः–3157 **/भण्डार–वाहन–विज्ञप्ति /2017–18 देहरादूनः दिनांक** 28-7-2017

प्रतिलिपि–

1– दैनिक जागरण,देहरादून / दैनिक हिन्दुस्तान,देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री अरूण कुमार राणा प्रशा0अधि0 कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि वाहन प्रपत्र नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.agriculture.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड
28/7

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड,
नंदा की चौकी,प्रेमनगर देहरादून
<u>मासिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा</u>
<u>विज्ञप्ति–2017–18</u>

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नंदा की चौकी प्रेमनगर देहरादून में मासिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्यालय कैशियर से दिनांक 22.08.2017 तक रू0 560.00 नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा निदेशालय की Website www.agriculture.uk.gov.in से भी Download किये जा सकते है। सील बंद निविदायें दि0 23.08.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा पेटी में डाली जा सकेंगी। प्राप्त निविदायें उसी तिथि को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र पर दिया गया है। किसी भी विवाद हेतु न्याय का क्षेत्र देहरादून होगा। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ह0/
कृषि निदेशक उत्तराखण्ड।